राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27 (74) ग्राविवि/अनु–5/जीकेएन/न्यूनतम मजदूरी दर/ई. ओ. 65598/2014–15 जयपुर, दिनांक 8 फरवरी 2021

जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष,
जिला दर निर्णायक समिति,
जिला समस्त राजस्थान।

विषय :– अकुशल व अर्द्धकुशल (मेट) श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी दर पुनरीक्षित करने के सम्बंध में ।

प्रसंग:– श्रम विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 8(5)(6) न्यू.म. अभि. /श्रम/आई.आर./2000/पार्ट/15744 दिनांक 19.08.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्रम विभाग द्वारा जारी प्रासंगिक अधिसूचना दिनांक 19.08.2020 के आधार पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा सम्पादित की जा रही विभिन्न केन्द्र व राज्य प्रवर्तित योजनाओं (महात्मा गांधी नरेगा योजना को छोडकर) में नियोजित अकुशल श्रमिक एवं अर्द्धकुशल श्रमिक (मेट) की न्यूनतम मजदूरी दर क्रमशः **रूपये 225/– व रूपये 237/–** प्रति दिवस पुनरीक्षित करते हुये इस आदेश के जारी होने की तिथि से प्रभावी की जाती है।

इस संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि श्रम विभाग के उक्त अधिसूचना दिनांक 19.08.2020 के द्वारा पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी दरों का विभागीय निर्माण/विकास कार्यो के लिए उपयोग हेतु आदेश जारी होने की तिथि से लागू करने के साथ–साथ इन पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी दरों का इन्द्राज/अपडेशन वर्ष 2020–21की वर्तमान बीएसआर सॉफ्टवेयर में नहीं किया जावेगा। पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी दर एवं वर्ष 2020–21 की बीएसआर सॉफ्ट में दर्ज/इन्द्राज न्यूनतम मजदूरी दर के अंतर राशि का भुगतान कार्य के तकमीने में पृथक से सम्मिलित करते हुए संबंधित कार्यकारी द्वारा अकुशल व अर्द्धकुशल (मेट) श्रमिक को कर दिया जावे।

(पी. सी. किशन)
शासन सचिव, ग्राविं

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पराविं।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
6. अधिशाषी अभियन्ता, (अभि.) एवं सदस्य सचिव, जिला दर निर्णायक समिति, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
7. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त राजस्थान।
8. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास को पत्र विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

अधीक्षण अभियन्ता ग्रावि,

Scanned with CamScanner